**भारत सरकार**
**नागर विमानन मंत्रालय**
**लोक सभा**
**लिखित प्रश्न संख्या: 3107**
**गुरुवार, 7 अगस्त, 2025/16 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर**

**विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण विधेयक, 2025**

**3107. एडवोकेट अदूर प्रकाश:**

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण विधेयक, 2025 की वर्तमान स्थिति क्या है और देश में विमान पट्टे पर देने पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;
(ख) इसके अधिनियमन के बाद से नए कानूनी रूपरेखा के अंतर्गत पट्टे पर दिए गए विमानों की संख्या कितनी है; और
(ग) देश के विमानन पट्टा पारिस्थितिकी तंत्र को वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप बनाने के लिए क्या पहलें की जा रही हैं?

**उत्तर**
**नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)**

(क) कन्वेंशन और प्रोटोकॉल लागू करने के लिए, संसद द्वारा 'विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण विधेयक, 2025' पारित किया गया था और तत्पश्चात दिनांक 16 अप्रैल, 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। भारत ने 16 नवंबर, 2001 को केप टाउन में हस्ताक्षरित मोबाइल उपकरणों में अंतर्राष्ट्रीय हितों पर कन्वेंशन और विमान उपकरण से संबंधित विशिष्ट मामलों पर मोबाइल उपकरणों में अंतर्राष्ट्रीय हितों पर कन्वेंशन के प्रोटोकॉल को स्वीकार किया था। एयरलाइनों ने सूचित किया है कि इस विधान के अधिनियमन के माध्यम से, विमान लीजिंग की लागत में 8% से 10% की कमी होने की संभावना है।

(ख) दिनांक 01 मई, 2025 को विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण अधिनियम, 2025 के अधिनियमित होने पर नए कानूनी ढांचे के तहत लीज पर लिए गए कुल 20 विमान पंजीकृत हैं।
(ग) सरकार ने गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) की स्थापना की है और देश के ईकोसिस्टम को वैश्विक परिपाटियों के अनुसार सुसंगत बनाया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने देश में विमान लीजिंग और वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए कर छूट, अवकाश आदि जैसे विनियामक और राजकोषीय सुधार किए हैं।

*****